

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या-एम०ई०-३/पीजी०-२०२१/३००

लखनऊ:दिनांक: ०४ फरवरी, २०२२

आवश्यक सूचना

यू०पी०नीट पी०जी० २०२१ की प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो में प्रवेशित अभ्यर्थियों द्वारा निरन्तर रूप से प्रायः यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो द्वारा छात्रों को दिये जाने वाले छात्रवेतन(Stipend) कम दिये जाने की सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है।

उक्त के संबंध में निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो में प्रवेशित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो में प्रवेशित अभ्यर्थियों को दिये जाने वाले छात्रवेतन(Stipend) का निर्धारण शासन/महानिदेशालय स्तर से नहीं किया जाता है। यू०पी० नीट पी०जी० २०२१ की प्रथम चक्र की काउन्सिलिंग से पूर्व इस कार्यालय के पत्र संख्या-एम०ई०-३/२०२२/१०० दिनांक १९ जनवरी, २०२२ द्वारा छात्रहित में विभागीय वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के लिए जारी महत्वपूर्ण सूचना/निर्देश में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था कि:-

"निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेज/विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थी सम्बन्धित कालेज के बारे में स्वयं अथवा उनके अभिभावक सम्पूर्ण जानकारी अपने स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही च्वाइस लॉक करें। अन्यथा की स्थिति में इस कार्यालय का कोई उत्तर दायित्व नहीं होगा।"

अतः निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजो में प्रवेशित अभ्यर्थी अपने छात्रवेतन(Stipend) के संबंध में प्रवेशित कालेज से सम्पर्क स्थापित करें।


महानिदेशक।